संख्या- 5 /2020/ 235 /छिहत्तर-1-2020-77 सम /2005

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 06 फरवरी, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक से कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के सापेक्ष सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1674/डब्लू- 409(सेन्टेज)/2019-20, दिनांक 30 जनवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जल जीवन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0)) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये गये कार्यो के सापेक्ष अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये गये कार्यो के सापेक्ष अनुमन्य सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि में से ₹ 5809.86 लाख (₹ अटठावन करोड नौ लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

कार्यदायी संस्था का नाम	वित्तीय वर्ष/ अनुदान संख्या	कुल प्रस्तावित सेन्टेज	प्रस्तावित सेन्टेज में से पूर्व में निर्गत सेन्टेज की धनराशि	अनुमन्य अवशेष सेन्टेज	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5(3-4)	6
उत्तर प्रदेश जल निगम	2019-20 /अनुदान संख्या- 13	5809.86	-	5809.86	5809.86
योग			-	5809.86	5809.86

(₹ अटठावन करोड नौ लाख छियासी हजार मात्र)

(I) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोग्राम एकाउन्ट में जमा की जायेगी।

(II) प्रतिशत प्रभार की दर विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- ए-2-23/दस -2011 -17 (4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश ए-2-1606/दस -2014-17 (4)/75 दिनांक 11 नवम्बर,2014 में वर्णित दिशा-निर्देशों/ निहित व्यवस्था/ प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण करते हुए निर्माण कार्यो पर अनुमन्य सेन्टेज कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी।

(III) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(IV) धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(V) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(VI) शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति- 02-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0 डब्लू0 पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या -1/2019/बी-1-170/ दस-2019-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 5 /2020/ 235 (1)/छिहत्तर-1-2020-77 सम/2005, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।